भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2018

जिसका उत्तर 05.08.2026 को दिया जाना है

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएँ और स्वचालित परीक्षण स्टेशन

2018 श्री राजेश परमानंद शुक्ला:

श्रीमती रेखा शर्मा:

श्री बृज लाल:

श्री राजीब भट्टाचार्य:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वाहन मालिकों द्वारा पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को स्वेच्छा से हटाने को प्रोत्साहित करने के लिए क्या राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकारी स्वामित्व वाले अनुपयुक्त (एंड-ऑफ-लाइफ) वाहनों को अनिवार्य रूप से हटाने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) वाहन स्क्रैपेज नीति किस रणनीतिक ढांचे के माध्यम से पर्यावरणीय नुकसान को कम करने, सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने और एक मजबूत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास करती है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) दिनांक 31.07.2026 तक, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 153 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) और 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 280 स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) संचालित हैं।

(ख) वाहन मालिकों द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (आरवीएसएफ) के माध्यम से अप्रयुक्त (पुराने) और अनुपयुक्त (अनफिट) वाहनों के स्वैच्छिक निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:

(i) दिनांक 04.10.2021 के सा.का.नि. 714 (अ) में प्रावधान है कि यदि वाहन 'जमा प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर पंजीकृत किया जाता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(ii) दिनांक 05.10.2021 के सा.का.नि. 720 (अ) के अनुसार, "जमा प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने पर पंजीकृत वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में छूट (गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पच्चीस प्रतिशत

तक और परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह प्रतिशत तक) प्रदान की जाती है। यह छूट परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष तक उपलब्ध रहेगी।

(iii) दिनांक 26.03.2025 के सा.का.नि. 200 (अ) में ऐसे प्रमाण पत्र के एवज में मोटर वाहन कर में पचास प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है, जो मास उत्सर्जन मानक भारत स्टेज I (बीएस-I) मानदंडों और पूर्ववर्ती मास उत्सर्जन मानक के मानदंडों के अनुसार विर्निमित ऐसे सभी परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों तथा मास उत्सर्जन मानक भारत स्टेज II (बीएस-II) मानदंडों के अनुसार विर्निमित ऐसे सभी मध्यम और भारी मालवाहक मोटर वाहनों एवं सभी मध्यम और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए लागू है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने आरवीएसएफ के माध्यम से वाहनों की औपचारिक स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नियामक उपाय भी किए हैं:

(iv) सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 6 जनवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 98(अ) के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 अधिसूचित की है, जिनका उद्देश्य उपयोग समाप्त हो चुके वाहनों का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन करना है। उक्त नियमों के तहत, उत्पादकों के लिए घरेलू बाजार में लाए गए या लाए जाने वाले वाहनों, जिनमें स्वयं के उपयोग में लाए जाने वाले वाहन भी शामिल हैं, के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) का दायित्व पूरा करना अनिवार्य है, ताकि एंड ऑफ लाइफ वाहनों को नष्ट करने के निर्धारित लक्ष्यों को सुनिश्चित किया जा सके।

उत्पादकों को ईपीआर दायित्वों को पूरा करने के लिए पुन:खरीदना (बायबैक) योजना, जमा वापसी योजना आदि जैसी योजनाएं शुरू करनी होंगी या किसी अन्य संस्था को इसके लिए नामित करना होगा। प्रत्येक उत्पादक को जागरूकता अभियान आयोजित करने होंगे और ग्राहकों को आरवीएसएफ या नामित संग्रहण केंद्र में एंड ऑफ लाइफ वाहनों को सुरक्षित जमा करने के लिए प्रोत्साहन देकर प्रेरित करना होगा।

(v) आरवीएसएफ द्वारा स्क्रैप किए गए वाहनों के पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए सरकार ने आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए अधिसूचना सा.का.नि. 490(अ), दिनांक 17.06.2026 जारी की, जिसमें यह प्रावधान है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उल्लिखित पंजीकरण प्राधिकारी, किसी मोटर वाहन के नष्ट होने के आधार पर उसके पंजीकरण को रद्द करने की कोई रिपोर्ट तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी रिपोर्ट के साथ आरवीएसएफ द्वारा जारी और वाहन डेटाबेस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से विधिवत सत्यापित वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र संलग्न न हो।

(ग) और (घ) दिनांक 16 जनवरी 2023 के सा.का.नि. 29 (अ) के अनुसार, यह अधिदेशित किया गया है कि केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकार (नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत), राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधीन अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र पंद्रह वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकृत नहीं किए जाएंगे। ऐसे वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किया जाएगा।

दिनांक 24.07.2026 तक, आरवीएसएफ में कुल 2,01,686 सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है, जिनमें 61,630 प्राथमिकता श्रेणी के वाहन (पुलिस वाहन - 30,208, बसें - 26,312, अग्निशमन सेवा वाहन - 587 और एम्बुलेंस - 4,523), 35,149 दोपहिया वाहन, 47,643 चार पहिया वाहन, 32,102 ट्रक और 25,162 अन्य श्रेणियों के वाहन शामिल हैं।

(ड.) यह नीति बड़े पैमाने पर वाहनों के पुनर्चक्रण (रीसायक्लिंग) और स्क्रैपिंग के माध्यम से पारिस्थितिकीय गिरावट को कम करने, जनता की सुरक्षा को बढ़ाने और एक मजबूत चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कूलर इकोनॉमी) को बढ़ावा देने में निम्नलिखित तरीकों से सहायता करती है:

(i) सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आरवीएसएफ द्वारा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अनफिट/पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का कार्य किया जाता है।

(ii) सर्कूलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, क्योंकि वाहनों को स्क्रैप करने से ऑटोमोटिव, इस्पात और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कम लागत वाले कच्चे माल (जैसे इस्पात, तांबा, एल्यूमीनियम, रबर आदि) की उपलब्धता बढ़ती है।

(iii) वाहनों को स्क्रैप करने से पुराने वाहनों के स्थान पर नए, ईंधन-कुशल और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड मॉडलों को अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है। नए वाहन बेहतर उत्सर्जन मानकों (बीएस-वीआई) का भी अनुपालन करते हैं और इस प्रकार पुराने उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले वाहनों की तुलना में कम प्रदूषणकारी होते हैं।

(iv) सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अनुसार स्थापित स्वचालित परीक्षण केंद्रों (एटीएस) के माध्यम से वाहनों का फिटनेस परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। एटीएस, वाहनों की सड़क पर चलने की उपयुक्तता का निर्धारण करने में मानवीय हस्तक्षेप को कम करते हुए, प्रौद्योगिकी आधारित फिटनेस परीक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं।
